संख्या 14/ 2015/504/-1-62/2015/12जीडब्लू20/15

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष्/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश्।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग1- लखनऊ / दिनांक 05 जून2015 ,

विषय- मुख्य मंत्री जल बचाव अभियान योजना को प्रदेश में प्राथमिकता पर लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य मंत्री जल बचाव अभियान योजना को प्रदेश में प्राथमिकता पर लागू किये जाने के संबंध में लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग1- द्वारा शासनादेश सं0 07/17सीएम/-62 -12015/12जीडब्लू20/15, दिनांक 01-4-2015 तथा इसी संबंध में ग्राम्य विकास अनुभाग-5 द्वारा शासनादेश संख्या- 242/अडतीस-5-2015-01सम/2015, दिनांक 06-04-2015 निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि एतदद्वारा शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरारन्त लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग1- द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 07/17सीएम 2015/12जीडब्लू/15 , दिनांक 01-04-2015 निरस्त किया जाता है।

भवदीय,
(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या1 -4 /2015/ 504/.2015-1-62तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

-1विशेष सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
-2प्रमुख स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
-3स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
-4प्रमुखअभियंता, सिचाई/सिंचाई,(0यॉ) विभाग, उ0प्र0।
-5निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0।
-6 अधिशासी निदेशक पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, उ0प्र0।
-7मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
-8 प्रबन्ध् निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
9- निदेशक ,भूगर्भ जल विभाग ,उ0प्र0।

आज्ञा से ,
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in